डॉ0 ईश्वर चन्द्र शर्मा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक – 06.06.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में आहुत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. डॉ0 ईश्वर चन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
2. श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
3. डॉ0 कुन्दन कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।
4. श्री नवीन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर ।
5. मो0 रशिद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. मो0 जैनुल आवदीन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खड़गपुर / असरगंज।
8. प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सदर मुंगेर।
9. आपूर्त्ति निरीक्षक, बरियारपुर / टेटियाबम्बर / संग्रामपुर।
10. सहायक गोदाम प्रबंधक, मुंगेर / खड़गपुर।

(1) खाद्यान्न उठाव / वितरण :–

खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि माह मार्च–2014 का खाद्यान्न सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को डोर–स्टेप डिलेवरी के तहत् उपलब्ध करा दिया गया है। माह अप्रैल–2014 का SIO तारापुर अनुमंडल के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिए उपलब्ध करा दिया गया है तथा सदर मुंगेर एवं खड़गपुर अनुमंडल का SIO भी चौबीस घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिला प्रबन्धक द्वारा यह भी बताया गया कि माह मई–2014 का भी SIO तैयार किया जा रहा है।

जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि माह अप्रैल–2014 का खाद्यान्न दिनांक–16.06.2014 तक सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि भारतीय खाद्य निगम से दिनांक–20.06.2014 तक माह मई–2014 के आवंटन का सम्पूर्ण खाद्यान्न उठाव कर लें तथा दिनांक–30.06.2014 तक सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को डोर–स्टेप डिलेवरी के तहत् निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक गोदाम प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि डोर–स्टेप डिलेवरी के ट्रांसपोर्टर द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण खाद्यान्न के वितरण में कठिनाई होती है।

जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि खड़गपुर के साथ–साथ अन्य गोदामों में आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्धता सुनिश्चित करायें ताकि ससमय खाद्यान्न का उठाव/वितरण हो सके।

(क) सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–3061 दिनांक–29.05.2014 द्वारा संसूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के सभी गृहस्थियों को राशन कार्ड वितरित करते हुए उसके आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

(2) **राशन कार्ड** :–

राशन कार्ड वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के गृहस्थियों को राशन कार्ड वितरण की प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत है :–

क्र0	प्रखण्ड का नाम	प्राप्त राशन कार्ड की संख्या	वितरित राशन कार्ड की संख्या	वितरण का प्रतिशत
1	सदर मुंगेर	19970	9850	49.32%
2	जमालपुर	13911	7819	56.20%
3	धरहरा	20864	11962	57.38%
4	बरियारपुर	16749	9752	58.22%
5	खड़गपुर	29959	24487	81.73%
6	टेटियाबम्बर	13407	9732	72.58%
7	असरगंज	12111	8431	69.61%
8	तारापुर	15456	3462	22.39%
9	संग्रामपुर	15319	2577	16.82%
10	नगर निगम, मुंगेर	27148	13720	50.54%
11	नगर परिषद् जमालपुर	13272	7656	57.68%
12	नगर पंचायत खड़गपुर	4961	4192	84.49%
	कुल :–	**203127**	**113640**	**55.94%**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शत्–प्रतिशत राशन कार्ड का वितरण नहीं हो सका है। खासकर तारापुर एवं संग्रामपुर प्रखण्ड में राशन कार्ड वितरण की गति काफी धीमा है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमालपुर/नगर पंचायत खड़गपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/ आपूर्त्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि कूपन वितरण के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निदेश एवं प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड का वितरण शिविर के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाए। ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों को राशन कार्ड के आधार पर ही खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। विभागीय निदेशानुसार प्रति राशन कार्ड 2/–(दो) रू0 उपभोक्ता से प्राप्त किया जाना है।

(3) <u>अधिप्राप्ति</u> :–

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पैक्सों द्वारा किसान से कुल 11313.95 M.T. धान का क्रय किया गया है, जिसके विरूद्ध 11307.55 M.T. धान अबतक राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार अभी भी पैक्स के पास 11313.95 – 11307.55 = 6.40 M.T. धान अवशेष बचा हुआ है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पैक्सों के पास अवशेष बचे धान अविलम्ब राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(क) <u>सी0एम0आर0</u> :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य खाद्य निगम द्वारा अब तक राईस मिलों को कुल – 12421.36 M.T. धान उपलब्ध कराया गया है, जिसका 67 % 8322.31 M.T. चावल होता है, जिसके विरूद्ध मीलर्स द्वारा मात्र 1620.00 M.T. (60 Lots) चावल ही CMR Collecting Centre. में उपलब्ध कराया गया है। अब भी मीलर्स द्वारा 8322.31–1620.00 = 6702.31 M.T. (248.23 Lots) चावल उपलब्ध कराना बाकी है।

जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में अभियान चलाकर मीलरों से सी0एम0आर0 जमा कराई जाए।

(4) <u>लोकसभा/विधानसभा प्रश्न</u> :–

लम्बित लोकसभा/विधानसभा प्रश्न की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई स्मारों के बावजूद निम्नवत् उत्तर सामग्री अप्राप्त है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	लम्बित प्रश्नों का विवरण					
		लोकसभा प्रश्न	राज्य सभा प्रश्न	शून्य काल की सूचना	आश्वासन	बिहार विधानसभा की जिला परिषद् एवं पंचायत राज समिति की प्रश्नावली	कुल लम्बित प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	03	–	–	–	–	03
2	अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर	03	03	–	1	1	08
3	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	07	04	1	1	1	14

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्वोच्चय प्राथमिकता देते हुए लम्बित प्रश्नों / प्रश्नावली का उत्तर सामग्री अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

(4) सी0डब्लू0जे0सी0 :–

लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के स्तर पर CWJC NO.-............/2011 सुशीला देवी बनाम राज्य एवं अन्य तथा CWJC NO.-8250/2013 अलावती देवी बनाम राज्य एवं अन्य तथा अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर के स्तर पर CWJC NO.-21051/2013 तन्नु भारती बनाम राज्य एवं अन्य में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना अप्राप्त है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर एवं खड़गपुर को निदेश दिया गया कि उक्त लम्बित CWJC में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक...360/जि0आ0, दिनांक...10/06/2014

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर / जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमालपुर / नगर पंचायत खड़गपुर / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / डीपो प्रभारी भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर / सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी / आपूर्त्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक...360/जि0आ0, दिनांक...10/06/2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।